

1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 116/2022

कासूराम पुत्र कालूराम, जाति सांसी, निवासी नूनिया गोठडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
--- अपीलान्त

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू (राज0)।
--- रेस्पोजेन्ट

प्रथम अपील अ0 सेक्शन 75 (1) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आदेश दिनांकित 04.08.2021
न्यायालय तहसीलदार चिडावा बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम अमरसिंह, किस्म मुकदमा धारा 91
एल0आर0एक्ट 1956 मुकदमा नम्बर 97/2021


उपस्थित:-

1. श्री विजयपाल सिंह तृतीय, एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक- रेस्पोजेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 25.08.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 04.08.2021 के विरुद्ध मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्त निम्न प्रकार से पेश है कि अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा के द्वारा उक्त मुकदमे में पारित निर्णय दिनांकित 04.08.2021 विरुद्ध कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्त को सुनवाई हेतु व जवाब हेतु तारीख दिनांक 30.06.2021 की नियत की जिस पर अपीलान्त ने अदालत मातहत में हाजिर होकर जवाब हेतु प्रार्थना पत्र पेशकर अवसर चाहा जो शामिल मिसल किया गया। परन्तु अदालत मातहत ने दिनांक 30.06.2021 को आईन्दा तारीख पेशी के बारे में अवगत नहीं करवाया व अदालत मातहत ने बाला-बाला ही दिनांक 04.08.2021 को अपीलान्त की गैरहाजिरी दिखाकर उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। अपीलान्त/गैरसायल को जवाब, साक्ष्य व सहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नहीं दिया ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। जबकि जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अपीलान्त/गैरसायल का मुख्य अधिकार था जिसे अदालत मातहत ने दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण का निर्णय कर दिया। इसलिए अदालत मातहत ने अपीलान्त/गैरसायल को उसके पक्ष में मूलभूत जवाब व साक्ष्य पेश करने का मौका व अवसर नहीं देकर अहम कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 पारित करते वक्त अदालत मातहत की पत्रावली पर सही ढंग से अपना माईण्ड अप्लाई नहीं किया और मामला हाजा पर सही ढंग से गौर नहीं फरमाया जबकि योग्य अदालत मातहत ने अपीलान्त/गैरसायल को ग्राम नूनिया गोठडा के खसरा नम्बर 28 कुल रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से लगभग 80 मीटर भूमि पर अपीलान्त/गैरसायल को अतिकमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है। क्योंकि प्रार्थी/अपीलान्त का मुख्य धन्धा मजदूरी है तथा अपीलान्त/गैरसायल के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है तथा उक्त अतिकमी भाग भूमि को आबादी भूमि


जिला कलक्टर झुंझुनू

में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कानूनन बहक अपीलान्त कर आबादी हेतु पट्टा आवंटित किया जा सकता है। परन्तु अदालत मातहत ने उक्त अतिक्रमी भाग का नियमन बहक अपीलान्त/गैरसायल किये जाने हेतु नियमन कमेटी के समक्ष मामला हाजा को प्रस्तुत करने की सिफारिश नहीं कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत में दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने हाजिर होकर अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किये जाने की बाबत कोई हल्फिया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिस कारण से अपीलान्त को उक्त मामला हाजा में पटवारी हल्का से जिरह करने से वंचित होना पड़ा जिसकी वजह से प्रार्थी/अपीलान्त को न्याय प्राप्त नहीं हो सकी और योग्य अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन कर उतावलेपन में उक्त अपीलान्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 पारित कर दिया। उक्त निर्णय विधि विरुद्ध व कानून के मूलभूत सिद्धान्तों के खिलाफ है व प्राकृतिक कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन हुआ है। अदालत मातहत की पत्रावली पर अगर सही ढंग से गौर फरमाया जाता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त निर्णय प्रथम दृष्टया ही अवैध साबित होता है क्योंकि अदालत मातहत ने अपने उक्त निर्णय में यह मानकर बहुत बड़ी कानूनी भूल की है की उक्त अतिक्रमी भाग किस्म गै0मु0 जोहड का बहक अपीलान्त कानूनन नियमन नहीं किया जा सकता। जबकि गै0मु0 जोहड भूमि का पुराने कब्जे के आधार पर भूमि का नियमन किये जाने में कानून में व पट्टा जारी करने में कोई रुकावट नहीं है। उक्त अतिक्रमी भाग भूमि पर अपीलान्त/गैरसायल का कदीम कब्जा मय पुख्ता रिहायशी मकानात है और उक्त भूमि कदीम से अपीलान्त व इसके परिवार हेतु रिहायश हेतु व पशुओं के बाधने हेतु काम में व उपयोग में ली जाती है व इस पर अपीलान्त को विद्युत कनेक्शन भी विद्युत विभाग द्वारा दिया गया है जो मौजूदा समय में लगा हुआ है व जल कनेक्शन भी जलदाय विभाग द्वारा दिया गया है जो मौके पर लगा हुआ है व उक्त भूमि का तहसीलदार चिडावा द्वारा जारी पट्टा भी अपीलान्त के पास है व पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी उक्त भूमि पर अपीलान्त/गैरसायल का पुराना कब्जा साबित है। परन्तु अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण पर सही ढंग से किसी भी प्रकार से तनिक भी गौर नहीं किया और जान बूझकर आर्बिट्रेरीली उक्त अपीलान्त आदेश दिनांकित 04.08.2021 पारित कर दिया। अपीलान्त के द्वारा दायर यह अपील प्रथम ही है जो राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के सेक्शन 75(1) के तहत पेश है। अतः अपील अपीलान्त प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त मन्जूर फरमाकर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार तहसील चिडावा जिला झुंझुनू के द्वारा बमुकदमा **उनवानी सरकार बनाम कासूराम, किस्म मुकदमा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956** की धारा 91 मु0न0 97/2021 में पारित उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावे।

बहस वकील अपीलान्त सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत ने अपीलान्त/गैरसायल को जवाब, साक्ष्य व सहादत अपने पक्ष में प्रस्तुत करने हेतु अवसर नहीं दिया ऐसा कर अदालत मातहत ने कानून के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्त/गैरसायल को **ग्राम नूनिया गोठड़ा के खसरा नम्बर 28 कुल रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से लगभग 80 वर्गमीटर** भूमि पर अपीलान्त/गैरसायल को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही अवैध है। क्योंकि प्रार्थी/अपीलान्त का मुख्य धन्धा मजदूरी है तथा अपीलान्त/गैरसायल के पास रिहायश हेतु उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है तथा उक्त अतिक्रमी भाग की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर व उक्त भूमि का नियमन कानूनन बहक अपीलान्त कर आबादी हेतु पट्टा आवंटित किया जा सकता है। अदालत मातहत में दिनांक 04.08.2021 को उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का ने हाजिर होकर अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किये जाने की बाबत कोई हल्फिया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिस कारण से अपीलान्त को उक्त मामला हाजा में पटवारी हल्का से जिरह करने से वंचित होना पड़ा। विवादित भूमि के मौके पर अपीलान्त/गैरसायल का कदीम कब्जा मय पुख्ता रिहायशी मकानात है और उक्त भूमि कदीम से अपीलान्त व इसके परिवार हेतु रिहायश हेतु व पशुओं के बाधने हेतु काम में व उपयोग में ली जाती है व इस पर अपीलान्त को विद्युत व जल कनेक्शन भी संबंधित विभाग द्वारा दिया गया है। अतः



जिला कलेक्टर झुंझुनू

अपील अपीलान्त मन्जूर फरमाकर योग्य अदालत मातहत तहसीलदार तहसील चिडावा के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 04.08.2021 को मय खर्चा खारिज फरमावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि **ग्राम नूनिया गोठड़ा** स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 28 कुल रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से लगभग 80 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म कब्रिस्तान की है जिस पर अतिक्रमण करने का अपीलान्त को कोई हक नहीं है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्त की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्त ने ग्राम नूनिया गोठड़ा स्थित सरकारी भूमि खसरा नम्बर 28 कुल रकबा 0.05 हैक्टर किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान में से लगभग 80 वर्गमीटर भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि गै0मु0 कब्रिस्तान की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। अपीलान्त को गै0मु0कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपीलान्त की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2021 यथावत रखा किया जाता है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल0एस0कुडी)

जिला कलक्टर, झुंझुनू